अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्नपत्र का विवरण:

200 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	100
5	सामान्य तार्किक योग्यता	
6	सामान्य विज्ञान	
7	सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	
8	संबंधित विषय (पदों की अर्हता अनुसार)	100
	कुल अंक	200

प्रश्न खण्ड ब स्नातक स्तर

100 अंक

- 1. लेखाकन, अंकेक्षण एवं आयकर
- (i) लागत एवं प्रबंध लेखे :-लागत नियंत्रण एवं लागत प्रक्रिया, लागत लेखांकन। लागत-मात्रा-लाभ संबंध एवं निर्णयन। बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत।
- (ii) अंकेक्षण:-अंकेक्षण कार्य की योजना। सम्पत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन। एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी का अंकेक्षण। अंकेक्षक का प्रतिवेदन, कम्प्युटीकृत लेखों का अंकेक्षण, लेखों के अंकेक्षण में कम्प्युटरों का अनुप्रयोग।
- (iii) आयकर:-

व्यक्ति कर दाता के कर निर्धारण संबंधी आयकर अधिनियम के प्रावधान। कर मुक्त आय एवं सकल कुल आय से कटौतियाँ। कर योग्य आय एवं कर दायित्व की गणना।

2. भारतीय संविधान

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पंचायती राज एवं नगरीय शासन 73 वें और 74 वें संविधान संशोधनों का महत्व, मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एवं कार्य।

3. लोक प्रशासन

- (i) वित्तीय प्रशासन की अवधारणा एवं महत्व, बजट की प्रक्रिया एवं उसकी भूमिका, निष्पादन बजट, शून्य - आधरित बजट।
- (ii) विधायी नियंत्रण, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति, लेखा परीक्षण एवं लेखा।
- (iii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
- (iv) लोक प्रशासन में कम्प्यूटर की भूमिका, ई-गवर्नेन्स।

4. <u>राज्य प्रशासन</u>

- (i) मध्यप्रदेश में प्रशासन पर विधायी एवं वित्तीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समितियां, लोक उद्यम समिति।
- (ii) जिला प्रशासन- कलेक्टर की भूमिका, तहसील एवं तहसीलदार, खण्ड एवं खण्ड विकास अधिकारी।
- (iii) स्थानीय प्रशासन- स्थानीय प्रशासन की भूमिका, विकेन्द्रीयकरण, कमजोर वर्गी के सशक्तीकरण की आवश्यकता, शहरी प्रशासन, मध्यप्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायत।
- (iv) पंचायती राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत, पंचायत प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (C.E.O.) की भूमिका, स्थानीय प्रशासन पर राज्य का नियंत्रण।

Syllabus:-

1. Accounting, Audit and Income Tax

i. Cost and Managing Accounts:-

Cost control and cost process, cost accounting. Cost-quality-benefit, relationship and decission. Budgetary control and standard cost.

ii. Audit:-

Planning of audit work, Assessment and verification of assets and liabilities. Audit of a limited liability company. Auditors report, audit of computerized accounts, application of computer in auditing of accounts.

iii. Income Tax:-

Provisions of the income tax act relating to the assessment of individual tax payer. Deductions of income tax from gross total income and calculation of exempted income from income tax. Calculation of taxable income and tax liability.

2. The Indian Constitution

Constitutional Provision of Comptroller and Auditor General, importance of 73 rd and 74 th constitutional amendment regarding rural and urban local bodies. Organisation and function of Panchayati raj system in Madhya Pradesh.

3. Public Administration

- i. The concept of financial administration and its importance. The role of budget and its process, performance budget, zero-based budgeting.
- ii. Legislative control, public account committee, estimate committee, public enterprise committee, account testing and accounts.
- iii. Comptroller and Auditor General of India.
- iv. Role of computer in public administration, E-Governance.

4. State Administration

- Legislative and financial control of administration in Madhya Pradesh, Estimates Committee, Public Accounts Committee, Public Enterprises Committee.
- ii. District Administration- The role of District Magistrate (Collector), tehsil and tehsildar, block and block development officer.
- iii. Local Administration- The role of Local Administration, decentralisation, need for empowerment of weaker sections, urban governance, Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayats in **Madhya Pradesh**.
- iv. The three-tier system of panchayati raj institutions, zila panchayats, janpad panchayats and gram panchayats, role of Chief Executive Officer (C.E.O.) in panchayat administration, control of state government over local administration.